सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	फाल्गुन 16, सोमवार, शाके 1943-मार्च 07, 2022 *Phalguna 16, Monday , Saka 1943- March 07, 2022*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

वित्त (आबकारी) विभाग

आज्ञा

जयपुर, मार्च 07, 2022

<u>आबकारी एवं मद्य-संयम नीति वर्ष 2022-23 एवं वर्ष 2023-24 में संशोधन</u>

संख्या प.4(1)वित्त/आब/2022 :- इस विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 05.02.2022 द्वारा जारी की गई आबकारी एवं मद्यसंयम नीति वर्ष 2022-23 व 2023-24 (आज्ञा दिनांक 28.02.2022 द्वारा यथासंशोधित) के निम्नलिखित बिन्दुओं को निम्नानुसार संशोधित/स्पष्ट किया जाता है:-

(i) बिन्दु संख्या 2.5.1 में अंकित **"माह फरवरी, 2022 तक निर्धरित गारंटी"** के बाद तथा **"पूर्ति कर ली हो"** के पूर्व **"बिन्दु संख्या 2.5.4 में निर्धारित दिनांक तक"** जोड़ा जाता है।

(ii) बिन्दु संख्या 2.5.3 में **''प्राप्त अधिकतम बिड राशि''** को निम्नानुसार परिभाषित किया जाता है:-
''किसी मदिरा दुकान के संबंध में वर्ष 2021-22 में निलामी प्रकिया में प्राप्त कोई अधिकतम बिड राशि, जिस पर बोलीदाता द्वारा धरोहर राशि जमा कराई गई है एवं बोलीदाता को अनुज्ञापत्र जारी किया गया है, को उस मदिरा दुकान के संबंध में प्राप्त अधिकतम बिड राशि माना जायेगा।''

(iii) बिन्दु संख्या 2.5.4 में अंकित **''दिनांक 07 मार्च, 2022''** के स्थान पर **''दिनांक 11 मार्च, 2022''** प्रतिस्थापित किया जाता है।

(iv) बिन्दु संख्या 2.5.5 एवं 2.9.11.1 व 2.10.2 में अंकित **''दिनांक 14 मार्च, 2022''** के स्थान पर **''दिनांक 16 मार्च, 2022''** प्रतिस्थापित किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

सुरेश चन्द गुप्ता,
शासन सचिव, वित्त (राजस्व)।

11476

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।